दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

विनियामक भवन, सी–ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली –110 017

फैक्सः 26673608 मेलः secyderc@nic.in

सार्वजनिक सुनवाई हेतु सूचना

विषयः बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमि. (बीवाईपीएम), टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्युशन लिमि.(टीपीडीडीएल), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के द्वारा दायर याचिका वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और टैरिफ, वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा (एपीआर) और वित्तीय वर्ष 2013–14 के ख़र्चों का सत्यापन तथा दिल्ली ट्रान्सको लिमि. (डीटीएल), इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कं. लिमि. (आईपीजीसीएल) और प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमि. (पीपीसीएल) के लिये वित्तीय वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 के लिये एआरआर का सत्यापन और वित्तीय वर्ष 2015–16 के टैरिफ के लिए।

1. दिल्ली के वितरण लाइसेंसीज अर्थात बीआरपीएल, बीवाईपीएल, टीपीडीडीएल, एनडीएमसी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये ख़र्चों के सत्यापन, वित्तीय वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा (एपीआर) और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) तथा टैरिफ के लिये अपनी याचिकाएं दायर की हैं।
2. डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2012–13 और वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये एआरआर का सत्यापन और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये सकल राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ के लिये अपनी याचिकाएं दायर की हैं।
3. स्टेकहोल्डर्स से आपत्तियां/टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27.05.2015 थी जिसे 06.06.2015 तक बढ़ा दिया गया था।
4. आयोग ऊपर वर्णित टैरिफ याचिकाओं पर सभी स्टेकहोल्डर्स/उपभोक्ता श्रेणियों के लिये, उनके सहित जो पहले ही अपनी टिप्पणियां/आपत्तियां दे चुके हैं, **नीचे दिये गये कार्यक्रम अनुसार सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम–II, गेट नं. 5, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110049** में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करेगाः

तिथि	समय	यूटिलिटीज
04.08.2015	प्रातः 10:30 बजे से अपरान्ह् 1:00 बजे तक अपरान्ह् 02.30 बजे से सायं 5:30 बजे तक	बीआरपीएल, बीवाईपीएल, टीपीडीडीएल, एनडीएमसी
05.08.2015	प्रातः 10:30 बजे से अपरान्ह् 1:00 बजे तक	डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल

5. स्टेकहोल्डर्स को वितरण कंपनियों अर्थात बीआरपीएल, बीवाईपीएल, टीपीडीडीएल और एनडीएमसी द्वारा किये गये दावों को समझने में सहायता के लिये सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और टैरिफ वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये याचिकाकर्ताओं के दावों के मूल्यांकन का उल्लेख करते हुए प्रत्येक डिस्कॉम के लिये एक विस्तृत सारांश शीट तैयार की गई है और डीईआरसी वेबसाइट **www.derc.gov.in** पर अपलोड की गई है। इसे सार्वजनिक सुनवाई में कोई सुझाव और टिप्पणी करने के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। इन सारांश शीटों पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिये स्टेकहोल्डर्स आयोग के कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारियों से 3 अगस्त, 2015 तक सभी कार्य दिवसों में अपरान्ह् 3:00 बजे से अपरानह 5:00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
   - i) श्री प्रशांत कुमार, संयुक्त निदेशक (टैरिफ–फाइनेंस) फोनः 26680433
   - ii) श्री अमित शर्मा, संयुक्त निदेशक (टैरिफ–इंजी.) फोनः 26673601
   - iii) श्री संजय कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक (पीएसएंडई) फोनः 26680734
6. उपरोक्त सारांश अनंतिम है और टैरिफ आदेश को अंतिम रूप देने के लिये स्टेकहोल्डर्स के दृष्टिकोणों को जानने के लिये सूचना के विस्तार के उद्देश्य के लिये है।
7. सभी स्टेकहोल्डर्स/उपभोक्ताओं की सुनवाई पहले आओ पहले पाओ आधार पर होगी। कृपया अपने साथ अपना फोटो पहचान पत्र लेकर आयें।

सचिव

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

DIP/0784/15-16